


वित्त एवं लेखा अनुभाग

संख्या : SO(Misc) /Accounts/2020-21

दिनांक : 02.03.2021

सी.एस.आई.आर. मुख्यालय से प्राप्त पत्र संख्या 29-5(1)2008 /ओबी (रिपोर्टस) दिनांक 4.12.2014 के अनुसार सभी अग्रिम (Imprest Advance), परिक्रामी अग्रिम (Revolving Advance ) तथा क्रय करने हेतु लिए गए अग्रिम धन राशि का समायोजन 31.03.2021 से पहले किया जाना है ।

अतः सभी नोडल अधिकारियों, समूह प्रमुखो, परियोजना प्रमुखो, विभागाध्यक्षों, अनुभागाध्यक्षों व अन्य सभी परिक्रामी अग्रिम के धारकों से अनुरोध है कि सभी परिक्रामी अग्रिमों का समायोजन बिल वित्त एवं लेखा अनुभाग में 20 मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से जमा करा दें । जिससे कि उनका समायोजन समय से किया जा सके तथा 31 मार्च 2021 को OB की NIL रिपोर्ट सी.एस.आई.आर. मुख्यालय को भेजी जा सके ।

  
(मनीष कुमार शर्मा)  
नियन्त्रक वित्त एवं लेखा

प्रतिलिपि:

1. सभी सूचना पट्ट
2. सीरी बेवसाइट